तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज GCMS-2014/00310 **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना** उनवानी सुलतान बनाम बंशीधर वगै0 मु.सं. 87/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04-09-2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव/ आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 24.09.2025 को पेश हो।	
24-09-2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव /आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने आपति विभाजन प्रस्ताव में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर असहमति जाहिर करते हुए आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भेजा गया विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश के साथ पुनः प्रेषित करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए आपति विभाजन प्रस्ताव खारिज कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव एवं आपत्ति विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त पर मौके पर कब्जा एवं रिकार्ड के आधार पर तैयार किया गया हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजवीर सिंह यादव)** **उपखण्ड अधिकारी,** **नीमकाथाना**	